रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 450

No. 131] DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939 [N.C.T.D. No. 450

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह—I (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सं. फा. 16/03/2014/गृह पु.—I/स्था./7031—7034.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से दिल्ली पुलिस में सहायक विधिक सलाहकार के पद से संबंधित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती), नियमावली, 1981 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन), नियमावली, 2017 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **नियम का संशोधन.**—दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती), नियमावली, 1981 की अनुसूची में

1.	पदनाम	:	सहायक विधिक सलाहकार
2.	पदों की संख्या	:	03 *(2017) *इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	स्तर —7 (44900—1,42,400/—रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	लागू नहीं

6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पाँच वर्ष तक शिथिलनीय **टीपः–** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिजीवन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि (एलएलबी) में उपाधि/विधि में पांच वर्षीय समेकित उपाधि। (ii) विधि विभाग या किसी सरकारी या निजी सूचीबद्ध/बार में अभ्यास में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :–** 12वीं कक्षा तक हिन्दी विषय का अध्ययन। **टीप–1 :–** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप–2** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वालों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है	:	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित)** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्द्ध शासकीय या स्वायत्त निकायों/संविधिक संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी; **या** (ii) स्तर–6 (35,400–1,12,400/–रुपये) पे मैट्रिक्स में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; या

			(ख) कालम 07 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ रखने वाले; (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख को पैंतालीस (45) वर्षो से अधिक नहीं होगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति 1. विशेष आयुक्त, पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस– अध्यक्ष 2. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव (प्रधान सचिव, गृह द्वारा यथा नामित), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य 3. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव (प्रधान सचिव, सेवाएं द्वारा यथा नामित), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के नाम व उनके आदेशानुसार,

पवन कुमार, उप सचिव (गृह पु.1)

HOME-I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th March, 2017

F.No.16/3/2014/HP-I/Estt./7031-7034.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.24/78/68-DS(S) dated 24th September, 1968, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, New Delhi, is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1981, relating to the post of Assistant Legal Advisor in Delhi Police, namely :—

1. Short title and Commencement.— (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2017

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule.—In the schedule to the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1981.

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Assistant Legal Advisor	**03* (2017)** *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	**Level-7 (Rs.44,900-1,42,400).**	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not

					the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir Stage, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
<u>Essential</u> (i) Degree in Law (LLB)/5 – years Integrated Degree in Law from a recognised University/Institute. (ii) 2 years' experience in Law Department or a Government or private listed organization/practice at Bar. <u>Desirable</u> Studied Hindi subject upto 12th Standard. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to SC/ST, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not Applicable	Two years for Direct Recruits	By Deputation (including Short Term Contract) failing which by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11.	12.	13.
Deputation (including Short Term Contract) Officers under the Central Government/State Governments/ Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/Universities/Recognized Research Institutions/Semi Government or Autonomous Bodies/Statutory Organizations :- A) (I) holding analogous posts on Regular basis in the parent cadre/department; or (II) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6	<u>Group 'B' Departmental Confirmation Committee</u> 1. Special Commissioner of Police (Admn), Delhi Police – Chairman 2. Special Secretary/Joint Secretary (as nominated by Pr. Secretary, Home), Govt. of NCT of Delhi –Member 3. Special Secretary/Joint Secretary (as nominated by Pr. Secretary, Services), Govt. of NCT of Delhi –Member	Consultation with UPSC necessary while making Direct Recruitment

(Rs. 35,400-1,12,400) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column7 (Period of deputation including Short Term Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). The maximum age limit for appointment by Deputation including short term contract shall not be exceeding 45 years on the closing date of receipt of application.		

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi.

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (HOME-I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.03 15:58:51 +05'30'